रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2016/आश्विन 28, 1938
No. 385] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2016/ASVINA 28, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2016

सं. ए-36024/1/2006-स्था.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड दिनांक 10.8.1985 की अधिसूचना सं के- 14011/13/85- रा.रा.क्षे.यो.बो. में आगे संशोधन करता है, जिसके द्वारा बोर्ड के सदस्य सचिव को विभिन्न नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष होने के कारण मद संख्या III क्रम संख्या 26 के अधीन धारा 22 (2) (ए) के अंतर्गत वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई थी। उक्त अधिसूचना को लोकहित की आवश्यकता में 14 दिसम्बर 1987, 4 जुलाई 1991, 9 जनवरी 1997, 23 अगस्त 2006, 10 फ़रवरी 2010 तथा 15 जुलाई 2015 को समय समय पर सदस्य सचिव की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाये जाने के लिए संशोधित किया गया है जिसे दिनांक 15.06.2016 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 36वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

यह संशोधन दिनांक 8.7.2016 अर्थात अध्यक्ष, रा.रा.क्षे.यो.बो. द्वारा अनुमोदित किए जाने की सूचना की तारीख से प्रभावी माना जायेगा।

निम्नलिखित संशोधन अंशकालिक सलाहकार / विशेषज्ञों और इन-हाउस परामर्शदाता की निश्चित अवधि के आधार पर नियुक्ति के लिए सदस्य सचिव को शक्तियों के प्रत्यायोजन में किये गए हैं :-

परामर्शदाताओं/ सलाहकारों/ विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना	वर्तमान शक्तियां (प्रत्येक के लिए)	संशोधित शक्तियां (प्रत्येक के लिए)
सदस्य सचिव	₹ 10 लाख तक	₹ 15 लाख तक
निम्नलिखित सदस्यों की कमेटी- - सदस्य सचिव, रा.रा.क्षे.यो.बो. (अध्यक्ष) - संयुक्त सचिव एवं एफ ए अथवा मुख्य लेखा नियंत्रक, शहरी विकास मंत्रालय - शहरी विकास मंत्रालय में रा.रा.क्षे.यो.बो. से संबद्ध संयुक्त सचिव अथवा निदेशक	₹ 10 लाख से अधिक तथा ₹ 20 लाख तक	₹ 15 लाख से अधिक तथा ₹ 25 लाख तक

- दो सहयोजित विषयवस्तु विशेषज्ञ		

सदस्य सचिव द्वारा नियुक्त प्रत्येक इन – हाउस परामर्शदाता/ सलाहकार/ विशेषज्ञ को ₹ 15 लाख से अधिक भुगतान नहीं किया जा सकता। उल्लेखित कमेटी द्वारा नियुक्त प्रत्येक इन – हाउस परामर्शदाता/ सलाहकार/ विशेषज्ञ को ₹ 25 लाख से अधिक भुगतान नहीं किया जा सकता। अधिसूचना सं ए-36024/1/2006-स्था दिनांक 23/8/2006 की अन्य नियम एवं शर्ते बिना किसी बदलाव के लागू होंगी।

उपरोक्त "परियोजना योजनाओं की संस्वीकृति तथा "अध्ययन/ सर्वेक्षण संचालन" शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 9/1/1997 की अधिसूचना में पी एस एम् जी–II को प्रत्यायोजित शक्तियों का संशोधन निम्न प्रकार से किया गया है:-

क्रम सं	शक्तियों का प्रकार	वर्तमान शक्तियाँ	संशोधित शक्तियाँ
(क)	संस्वीकृति (क) परियोजना योजनाओं की	₹ 500 लाख तक प्रत्येक मामले में	₹ 20 करोड़ तक प्रत्येक मामले में
	(ख) अध्ययन/ सर्वे संचालन की	₹ 20 लाख तक प्रत्येक मामले में (24.5.2006 की 29वीं बैठक में बोर्ड द्वारा संशोधित ₹ 10 लाख से ₹ 20 लाख तक)	₹ 50 लाख प्रत्येक मामले में

बी. के. त्रिपाठी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 274 (126)]

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2016

No. A-36024/1/2006-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), National Capital Region Planning Board hereby further amends Notification No. K-14011/13/85-NCRPB, dated 10.8.1985 whereby financial powers were delegated to the Member Secretary of the Board under Section 22(2)(a) under item III Serial No, 26, by virtue of his being Head of the Department under various Rules. The above said Notification has been amended from time to time in the exigencies of public interest by Notifications 14th December, 1987, 4th July, 1991, 9th January, 1997, 23rd August, 2006 and 10th February 2010 and 15th July 2015 leading to this amendment for enhancing' the financial powers of the Member Secretary, which has been approved in the 36th Meeting of the National Capital Region Planning Board held on 15.6.2016.

This Amendment shall be deemed to have come into force with effect from the date of intimation of approval by the chairman, National Capital Region Planning Board i.e. 8.7.2016.

The following modifications in the delegation of powers to the Member Secretary for appointment of Part-time Advisors/Experts and of in-house Consultant on fixed tenure basis have been made:-

Delegation of financial powers for appointment of Consultants/Advisors/Experts	Existing Powers (in each case)	Revised Powers (in each case)
Member Secretary	Upto ₹10 lakhs	Upto ₹15 lakhs
Committee consisting of the following Members: • Member Secretary, NCRPB (Chairman) • Joint Secretary & FA or Chief Controller of Accounts, MoUD • Joint Secretary or Director dealing with NCRPB in MoUD	More than ₹10 lakhs and upto ₹ 20 lakhs	More than ₹15 lakhs and upto ₹ 25 lakhs

[illegible]	Two subject matter specialists to be co-opted		

The maximum payment per in-house consultant/expert/advisor will not exceed ₹ 15 lakhs in respect of appointments made-by Member Secretary & ₹25 lakhs in respect of appointments made by the said Committee. Rest of the terms & conditions remain the same as notified vide Notification No.A-36024/1/2006-Estt., dated 23rd August, 2006 .

In the above mentioned notification dated 9th January,1997, under the heading "sanctioning of project plans" and "conducting studies/ surveys", the delegation of powers to **PSMG-II** have been revised as under:-

Sl. No.	**Nature of Power**	**Existing powers**	**Revised Powers**
A	Sanctioning of (a) Project Plans	(a) Upto ₹ 500 lakhs in each case	(a) Upto ₹ 20.00 crores in each case.
	(b) Conducting studies/surveys	(b) Upto ₹ 20.00 lakhs in each case. (Amended by Board in the 29th meeting held on 24.05.2006 from ₹ 10.00 lakhs to ₹ 20.00 lakhs)	(b) ₹ 50.00 lakhs in each case.

B. K. TRIPATHI, Member Secy.

[ADVT. III/4/Exty./274 (126)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.24 15:00:18 +05'30'